



9. आवंटन की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन आवंटी/सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी द्वारा करना होगा।
10. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन/सम्पत्ति में हो रहे क्रियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रिया-कलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा परिषद के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
12. शेष नियम/शर्तें पूर्व में निर्गत स्वीकृति पत्र के अनुसार यथावत रहेंगी, जिनका अनुपालन/क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में किया जाना होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

1- अनुमोदित कम्पलीशन मानचित्र 01 सेट

2- कम्पलीशन संबंधी प्रपत्रों का 01 सेट

(संजीव कश्यप)

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0 1361

/वा.नि.0-4/88/6.4-5,6

/पूर्णा /

दिनांक 22/06/2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता-तृतीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-19, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ को उनके पत्र सं0-824/वाई-16/06 दिनांक 15-05-2020 के क्रम में।
3. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय-वृन्दावन योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
4. उप श्रम आयुक्त, श्रम कार्यालय, ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ को बिन्दु सं0-7 के क्रम में।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, 56 चौराहा, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ कैण्ट, लखनऊ

  
विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक